बिहार सरकार

समाहरणालय, नालन्दा बिहारशरीफ

(जिला योजना कार्यालय)

कोटेशन आमंत्रण सूचना

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय सांसद श्री कौशलेन्द्र कुमार के अनुशंसा के अनुशंसा के आलोक में नालन्दा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत दो स्थलों पर 16 मीटर ऊँचाई वाले हाईमास्ट लाईट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य के लिए निबंधित एवं ख्यातिप्राप्त उत्पादनकर्त्ता/प्राधिकृत विक्रेता/आपूर्तिकर्त्ता से मुहरबंद निविदा तकनीकी एवं वित्तीय बीड दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में आमंत्रित किया जाता है। निविदा समर्पित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है –

1. तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में होना चाहिए।
2. निविदादाताओं को TIN (VAT) तथा आयकर विभाग में विगत तीन वर्षों का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण पत्र एवं नियमानुसार Audited Balance Sheet होना चाहिए।
3. आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों के निर्माता कम्पनी ISO प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए।
4. सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन आदेश निर्गत की तिथि से दो माह के अन्दर करनी होगी।
5. निविदा के साथ 30,000.00 (तीस हजार) रू0 मात्र की जमानत राशि जमा करनी होगी, जो जिला योजना पदाधिकारी, नालन्दा. के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार्य होगा।
6. आपूर्ति ली जाने वाली सामग्रियों का specification एवं दर का निर्धारण क्रय समिति के द्वारा किया जाएगा।
7. Specification के लिए दिनांक 27.02.2016 से 29.02.2016 तक कार्यालय अवधि में सम्पर्क करें।
8. यातायात के क्रम में उपकरणों की टूट-फूट होने की स्थिति में निविदादाता स्वयं जिम्मेवार होंगे।
9. अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए निविदा रदद करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद का निपटारा बिहारशरीफ जिला न्यायालय में होगा।
11. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने की नोटरी पब्लिक द्वारा शपथ पत्र देना होगा।

जिला योजना कार्यालय, नालन्दा में मुहरबंद निविदाऐं दिनांक 05.03.2016 को अपराहन 1:30 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे, एवं उसी दिन अपराहन 3.00 बजे जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत जानकारी हेतु जिला के वेबसाईट www.nalanda.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

15.02.16

जिला योजना पदाधिकारी
नालन्दा।